# सिर्फ हथियार से नहीं होगी जीत

## युद्ध में बढ़त और दुश्मन से आगे रहने के लिए ‘आश्चर्य का तत्व’ विकसित करें कमांडर : राजनाथ

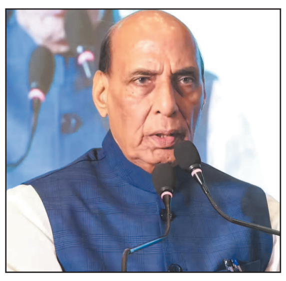

**नई दिल्ली 08 मई. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजी से बदलते भू-राजनीतिक सुरक्षा परिदृश्य में हर तरह की स्थिति से निपटने को तैयार रहने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वायत्त प्रणालियों, डेटा विश्लेषण और सुरक्षित संचार नेटवर्क में क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि भविष्य के संघर्ष हाइब्रिड खतरों, सूचना प्रभुत्व तथा साइबर, अंतरिक्ष और विद्युतचुंबकीय क्षेत्रों में एक साथ संचालित अभियानों से प्रभावित होंगे.**

सिंह ने संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन कमांडरों को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए की त्वरित , सटीक और संयुक्त जवाबी कार्रवाई का प्रतीक बताया.

उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि नयी सोच और बेहतर समन्वय से जीते जायेंगे. उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए भारतीय रक्षा बलों की त्वरित, सटीक और संयुक्त प्रतिक्रिया का प्रमाण है. उन्होंने तीनों सेनाओं के कमांडरों से आह्वान किया कि वे इस अभियान तथा वर्तमान वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य से सीख लेकर भविष्य के लिए सदैव तैयार रहें. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अल्प अवधि वाला, गहरी पैठ बनाने वाला, उच्च तीव्रता तथा अत्यधिक प्रभाव वाला अभियान बताया, जिसने भारत की अपने विरोधियों को आत्मसमर्पण के लिए विवश करने की क्षमता को प्रदर्शित किया. उन्होंने कहा कि यह अभियान भारत की बढ़ती सामरिक क्षमताओं तथा राष्ट्र के सामूहिक संकल्प एवं नए सैन्य दृष्टिकोण का प्रतीक है.

> उन्होंने कहा कि संयुक्तता वैश्विक रक्षा क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण आयाम है. उन्होंने कहा, भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि नवाचारी सोच और बेहतर समन्वय से जीते जाएंगे. रक्षा मंत्री ने कमांडरों से लड़ाई में आश्चर्य के तत्व को विकसित करने का आग्रह किया ताकि वे शत्रुओं के लिए अप्रत्याशित बने रहें और किसी भी परिस्थिति में रणनीतिक बढ़त हासिल कर सकें. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि शत्रु के आश्चर्यजनक कदमों से भी सतर्क रहना होगा और हमेशा उससे दो कदम आगे रहना होगा.

**न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी**
**(डॉ. रिंकेश कुमार वैश्य), जिला इंदौर (म.प्र.)**
**(प्रशासनिक संकुल कक्ष क्रमांक – जी 11)**

क्रमांक/176 /अकरी/2026 — इंदौर दिनांक: 04/05/2026

प्रकरण क्र./0071/व-121/2026-27

प्रति:
1. श्री आनंद देवकर पिता श्री संभाजीराव देवकर
2. श्रीमती रूपाली देवकर पति श्री आनंद देवकर

सभी का पता 1 : 540 एलआईजी बालाजी हनुमान मंदिर के पास मुखर्जी नगर देवास (म.प्र.)
पता 2: फ्लेट नं. 104 प्रथम मंजिल वेस्टएण्ड कॉर्पोरेट प्लाट नं. 6/6 ओल्ड ब्लॉक नं 45 न्यू पलासिया जिला इंदौर म.प्र 452001
पता 3: इंदौर टोटल सोल्यूशन 201 दूसरी मंजिल गंगोत्री टॉवर, 90 टात्या टोपे मार्ग फ्रीगंज उज्जैन

द्वारा:- पेपर प्रकाशन।

--00--

**प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि., ब्रांच ऑफिस – तीसरी मंजिल यूनिट नंबर 301 एन. आर. के टैंक पार्क प्लाट नं. 9/सी/सीए स्कीम नं. 94, रिंग रोड रेडिशन चौराहा के पास इंदौर द्वारा निवेदन किया कि बंधक संपत्ति प्रकोष्ठ क्रमांक 104, प्रथम मंजिल वेस्टएण्ड कॉर्पोरेट, प्लाट नं. 6/6 (पुराना ब्लॉक नं. 45), न्यू पलासिया वार्ड नं. 43, जिला इंदौर म.प्र** पर बकाया ऋण राशि का चुकारा आपके द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूति संपत्ति का कब्जा ही सौंपा गया है। अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 14 में प्रतिभूति के रूप में रखी सम्पत्ति का कब्जा दिलाया जाये।

अतः इस संबंध में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि मामले की सुनवाई हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला इंदौर कक्ष क्रमांक जी-11 में **दिनांक 11/05/26 को दोपहर 3 बजे** होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहे। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

**अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी**
**जिला इंदौर (म.प्र.)**
**इंदौर दिनांक: 04/05/2026**

**कार्यालय रूस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र)**

दूरभाष / फैक्स क्रं.- 0731-2419771

क्रं - आरएपीटीसी / क्वा.मा. / P - 2453 /2026 — दिनांक 06/05/2026

-ः ई-निविदा एवं सीलबंद आमंत्रण सूचना ः-

रूस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, इंदौर के नवीन प्रशासनिक भवन एवं मुख्य प्रशासनिक भवन, अम्बेडकर भवन, हॉस्पीटल भवन, एम. टी. शाखा भवन, पुस्तकालय भवन, बेडमिन्टन हॉल, इन्डोर शूटिंग रेन्ज एवं उनके टॉयलेट ब्लॉक के आंतरिक एवं बाह्य परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था हेतु सक्षम ठेकेदारों से 01 वर्ष की अवधि के लिये मासिक आधार पर ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य कराने हेतु आवश्यक जानकारी एवं टेण्डर फार्म, निर्माता फर्मों के लिये रूपये - 2,000 /- (दो हजार रूपये) 0055 पुलिस विविध प्राप्तियां शीर्ष में अधोहस्ताक्षरकर्ता के पक्ष से जमा कर https://mptenders.gov.in एवं www.mppolice.gov.in प्राप्त किया जा सकता है।

1. ऑन लाइन ई-निविदा केवल वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर तकनीकी एवं व्यवसायिक निविदा पृथक-पृथक निर्धारित समय में जमा की जा सकेगी।
2. ऑन-लाइन निविदा की अन्तिम तिथि 28/05/ 2026 समय 1200 बजे तक है।
3. ऑन-लाईन निविदा की तकनीकी बिड दिनांक 29/05/2026 को 1200 बजे खोजी जावेगी ।
4. व्यवसायिक निविदा (बिड) दस्तावजे परीक्षण उपरांत खोली जावेगी ।

G12575/26 — सेनानी, आरएपीटीसी, इंदौर

# 1,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा

▶ ऑनलाइन सट्टा : ईडी ने दिल्ली-बेंगलुरु में मारे छापे

**नई दिल्ली, 08 मई. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित 1,000 करोड़ रुपये के ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट से जुड़े बड़े अभियान के तहत दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), बेंगलुरु और अन्य स्थानों पर लगभग 18 ठिकानों पर व्यापक छापेमारी की. यह छापेमारी कल देर रात एक बजे तक चली.**

जांच एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, तलाशी के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किये गये आरोपियों के नाम दीपक सिंह अहलावत, पृथ्वी कुमार और विकास तनेजा है. दीपक सिंह अहलावत हरियाणा के रहने वाला है, जबकि पृथ्वी कुमार उत्तराखंड का निवासी है। कार्रवाई के दौरान ईडी ने कथित तौर पर जांच से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य डिजिटल साक्ष्य जब्त किये हैं. सूत्रों ने बताया कि यह मामला लगभग 1,000 करोड़ रुपये के कथित ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से संबंधित है। ईडी के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशकों और मामले से जुड़े कई अन्य आरोपियों के खिलाफ यह कार्रवाई की. अधिकारियों के अनुसार, इस संबंध में पहले बेंगलुरु के स्थानीय थानों में कई प्राथमिकी दर्ज की गयी थीं. इसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जांच अपने हाथ में ली और आगे की कार्रवाई शुरू की.

**पश्चिम रेलवे-रतलाम मंडल**

**ई-निविदा सूचना**

मंडल रेल प्रबंधक /मंडल कार्यालय (कार्य लेखा शाखा) पश्चिम रेलवे, कृते भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए "खुली निविदा" ई-निविदा के माध्यम से वेबसाईट **www.ireps.gov.in** पर आमंत्रित करते है। विवरण इस प्रकार है। **क्र. सं. 1) ई टेंडरिंग संख्या: RTM-2026-27-47. कार्य का नाम:** Chanderia-Ratlam Section: Improvement of draingae system at RUB Nos. 225A, 279A, 285A, 313A, 323A. 353A, 356A etc. to avoid water logging. **अनुमानित लागत: ₹ 2,32,51,042.69 बयाना राशी: ₹ 4,65,000.00 कार्य की समापन अवधि:** 12 Months. **वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि:** 05/05/2026. **निविदा खुलने की तिथि:** 29/05/2026. **क्र. सं. 2) ई टेंडरिंग संख्या: RTM-2026-27-31. कार्य का नाम:** CNA-RTM Section: Supply of potable drinking water through tanker at Various stations, LC gates and gang chawls for 02 years. **अनुमानित लागत: ₹ 54,55,440.64 बयाना राशी: ₹ 1,09,100.00 कार्य की समापन अवधि:** 24 Months. **वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि:** 05/05/2026. **निविदा खुलने की तिथि:** 29/05/2026. विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य शर्ते वेब साईट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है।

CRY/IND/40

हमें लाइक करें : facebook.com/WesternRly

**शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड**

कार्पो. कार्यालय : 425, उद्योग विहार फेस -IV, गुरूग्राम -122015 (हरियाणा)
फोन: 0124-4212530/31/32, ईमेल : customercare@shubham.co, वेबसाईट - www.shubham.co

**मांग सूचना**

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (इसमें आगे ‘अधिनियम’ कहा गया है) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

यह आपको सूचित किया जाता है कि धरोहर ऋणकर्ता **शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कंपनी लिमिटेड** जिसका पंजीकृत कार्यालय 608, 609, छठवीं मंजिल, ब्लॉक–सी अंसल एम्पेरियल टॉवर, कम्युनिटी सेन्टर, नारायणा विहार, न्यू दिल्ली–110028 (इसके पश्चात ‘एसएचडीएफसीएल’ के रूप में संबोधित) द्वारा आपके ऋण खाते को एनपीए के तौर पर घोषित कर चुका है एवं एसएचडीएफसीएल के आपके ऋण खाते के विरूद्ध संपूर्ण ऋण का भुगतान करने के उत्तरदायी है। आपको उपरोक्त राशि पर अनुबंध दर पर लागू भविष्य ब्याज के साथ प्रासंगिक व्यय, मूल्य, शुल्क आदि का भुगतान करने के उत्तरदायी है। इसलिए इस सूचना के दिनांक से 60 दिवस में एसएचडीएफसीएल को आपके संपूर्ण दायित्व का भुगतान करने के लिए आपको बुलाया जाता है असफल रहने पर एसएचडीएफसीएल को कानून की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम होगी। ऋणकर्ताओं एवं धरोहर संपत्ति का विवरण नीचे दिया गया है।

| क्र. स. | ऋण खाता क्रं. ऋणकर्ता (ओं) का नाम | ऋणी का पता | मांग सूचना दिनांक एवं मांग राशि | सुरक्षित संपत्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | लोन नं. **0RLM2308000005067127,** अर्जुन अटोलिया, प्रीतिबाला मेहता, गोपाल, यशोदा बाई | C/o गोपाल अटोलिया, मकान नंबर 193, गढ़ी शेत्रा चंपानेर, मध्य प्रदेश – 456224 | **14-04-2026 & ₹ 13,85,976 /-** | वार्ड नंबर 07 में स्थित संपत्ति, सर्वे नंबर 1407, भवन पंजी क्र. 193/1, प.ह.न. 12 ग्राम चंपानेर, तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश – 456224, क्षेत्रफल– 130.06 वर्ग मीटर |

स्थान : गुडगाँव
दिनांक: 08.05.2026

प्राधिकृत अधिकारी
शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

FORM No.
[See Regulation 33(2)]
By Regd. A/D, Dasti Failing which by Publication.

**OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER - I/II**
**DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JABALPUR**

2nd & 3rd Floor, Sanchar Vikas Bhawan (BSNL Building), Near Head Post Office, Residency Road, Jabalpur - 482001, M.P.

NOTICE FOR SETTLING A SALE PROCLAMATION UNDER RULE 53 OF THE SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993.

RC/108/2016 — 21-04-2026

UCO BANK
Versus
SHRI NANDA ALIAS NANDRAM (DECEASED) THROUGH LEGAL HEIRS-

To
(CD1) SHRI NANDA ALIAS NANDRAM (DECEASED) THROUGH LEGAL HEIRS-
(I) SMT. RAMKUMAR BAI, WD/O L/SHRI NANDA ALIAS NANDRAM.
(ii) SHRI RAJARAM S/O L/SHRI NANDA ALIAS NANDRAM.
(iii) SHRI SURESH S/O L/SHRI NANDA ALIAS NANDRAM.
(iv) SMT. SUGAN BAI W/O SHRI PUNJRAJ.
(v) SMT. MANGI BAI W/O SHRI MANOHAR.
R/O GRAM MADHAVPURA (KAILOD), TEHSIL-MHOW, INDORE (M.P.)-453441.
(CD2) SHRI RAJARAM S/O L/SHRI NANDA ALIAS NANDRAM, GRAM MADHAVPURA (KAILOD), TEHSIL-MHOW, INDORE (M.P.)-453441.
(CD3) SHRI PRAKASH JAIN, GRAM-BHAGORA, TEHSIL-MHOW, INDORE (M.P.)-453441.
(CD4) SHRI RAMLAL S/O RAM RATAN, GRAM-MADHAVPURA, TEHSIL-MHOW, INDORE (M.P.)-453441.

Whereas you were ordered by the Presiding Officer of DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JABALPUR who had issued the Recovery Certificate dated **18/04/2016** in **OA/290/2013** to pay to the Applicant Bank(s)/Financial Institution(s) Name of applicant, the sum of **Rs. 1474383.00 (Rupees Fourteen Lakhs Seventy Four Thousands Three Hundred Eighty Three Only)** along with pendentelite and future interest @12.00% Simple Interest Yearly w.e.f. **16/12/2013** till realization and costs of **Rs. 17000 (Rupees Seventeen Thousands Only)**, and whereas the said has not been paid, the undersigned has ordered the sale of undermentioned immovable / Immoveable property.

2. You are hereby informed that the **02/06/2026 at 10.30 A.M.** has been fixed for drawing up the proclamation of sale and settling the terms thereof. You are requested to bring to the notice of the undersigned any encumbrances, charges, claims or liabilities attached to the said properties or any portion thereof.

**Specification of property**

**Belonging to Shri Gulab Bheel Situated at P.H. No.:30, Kh.No.2, admeasuring area 6.762 hectares, Kh.No.3. admeasuring area 0.053 hectares, Kh.No.4, admeasuring area 2.890 hectares, admeasuring total area 9.705 hectares, situated at Madhavpura, Tehsil: Mahu, District: Indore, M.P.**

Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date: **21.04.2026.**

SEAL

**Recovery Officer**
**DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JABALPUR**

**आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** — IDFC FIRST Bank

**(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)**
**(CIN-L65110TN2014PLC097792)**
**रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031**
**फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022**

**वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना**

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

| स. क्रं. | ऋण खाता संख्या | ऋण का प्रकार | धारा 13 (2) नोटिस तिथि | धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100148732 | होम लोन | 17.04.2026 | 6,06,588.87/- |

**उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नाम:** 1. बगदीराम रणछोड़लाल 2. किरण बगदीराम

**संपत्ति का पता:** किरण बागदिराम, प्लॉट प्लिंथ संख्या 179 का वह टुकड़ा और पार्सल, कुल क्षेत्रफल 52.95 वर्ग मीटर (570 वर्ग फुट), पीएच नं. 60 (दिशानिर्देश के अनुसार पीएच नं. 113), (खसरा संख्या 406), ग्रामः पलवा, वार्ड संख्या 07, ग्राम पंचायतः पलवा, तहसीलः महिदपुर, जिलाः उज्जैन, मध्य प्रदेश-456550 में स्थित है, और इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः सामान्य सड़क, पश्चिमः खुला स्थान (भेरूलाल), उत्तरः समंदर का घर, दक्षिणः मदनलाल का घर

| स. क्रं. | ऋण खाता संख्या | ऋण का प्रकार | धारा 13 (2) नोटिस तिथि | धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 107455888 | होम लोन | 30.04.2026 | 5,36,905.76/- |

**उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नाम:** 1. भंवरलाल नानूराम 2. सुनीता बाई नानूराम

**संपत्ति पता:** प्लॉट/मकान संख्या 179 का वह पूरा हिस्सा, जिसका कुल क्षेत्रफल 55.74 वर्ग मीटर (600.00 वर्ग फुट) है, जो खसरा संख्या 413 पर स्थित है, पटवारी हल्का संख्या 64 (दिशानिर्देश के अनुसार पटवारी हल्का संख्या 44) पर, ग्रामः बकानिया, वार्ड संख्या 02, ग्राम पंचायतः बकानिया, तहसील और जिलाः उज्जैन, मध्य प्रदेश-456550, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः सामान्य सड़क, पश्चिमः मोहनलाल मालवीय का घर, उत्तरः फतेह सिंह का घर, दक्षिणः खाली प्लॉट।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड,** आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक: 09.05.2026
स्थान: मध्यप्रदेश

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

**भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड**
**CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.**
एक नवरत्न कम्पनी (भारत सरकार का उपक्रम)
A Navratna Company (A Govt. of India Undertaking)
कॉनकॉर CONCOR
NSIC New MDBP Building, 3rd Floor, Okhla Indl. Estate (Opp. NSIC Okhla Metro Station), New Delhi-110020

**ई–निविदा आमंत्रण सूचना**

कॉनकॉर निम्नलिखित कार्य हेतु एकल पैकेट प्रणाली के अंतर्गत ई–निविदा आमंत्रित करता है :–

| | |
|---|---|
| निविदा क्रमांक | CON/Area-II/EP/ICD-Mandideep/E-11129/2026-27 |
| कार्य का नाम | आईसीडी–मंडीदीप (भोपाल)में लगभग 7,600 वर्गमीटर कच्चे यार्ड क्षेत्र का एम–50 सीसी ब्लॉक पेवमेंट सहित विकास कार्य। |
| अनुमानित लागत | ₹411.49 लाख (जीएसटी सहित) |
| पूर्ण होने की अवधि | 06 (छह) महीने |
| बयाना राशि (ईएमडी) | ₹3,55,745.00 (केवल रुपये तीन लाख पचपन हज़ार सात सौ पैंतालिस) |
| निविदा दस्तावेज की लागत (अप्रतिदेय) | शून्य |
| निविदा प्रक्रिया शुल्क (अप्रतिदेय) | ₹3540/- (ई–भुगतान के माध्यम से समस्त करों एवं शुल्कों सहित) |
| निविदा बिक्री की तिथी (ऑनलाइन) | 09.05.2026 (15:00 बजे) से 02.06.2026 (17:00 बजे तक) |
| निविदा जमा करने की तारीख और समय (ऑनलाइन) | 03.06.2026 पर 17:00 बजे तक |
| निविदा खुलने की तारीख और समय (ऑनलाइन) | 04.06.2026 पर 15:00 बजे तक |

वित्तीय पात्रता मानदंड, समान प्रकृति के कार्यों के अनुभव आदि के संबंध में विस्तृत निविदा सूचना हेतु कृपया वेबसाइट www.concorindia.co.in पर उपलब्ध विस्तृत निविदा सूचना देखें। लेकिन पूरा निविदा दस्तावेज केवल वेबसाइट www.tenderwizard.com/CCIL से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, इस निविदा से संबंधित यदि कोई शुद्धिपत्र/परिशिष्ट जारी किया जाता है, तो वह केवल website www.concorindia.co.in. www.tenderwizard.com/CCIL तथा केंद्रीय खरीद पोर्टल (CPP) पर प्रकाशित किया जाएगा। इसके लिए समाचार पत्रों में पृथक प्रेस विज्ञापन नहीं किया जाएगा।

समूह महाप्रबंधक (परियोजनाएं)
फोन नं.: 011–41222500

# सीईओ पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज

**नयी दिल्ली, 8 मई.** राजधानी दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी रेडक्यूब डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय प्रकाश के खिलाफ कंपनी की इंटर्न ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है.

दक्षिण दिल्ली की रहने वाली पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसे गंभीर परिणामों की धमकी दी है. अपनी शिकायत के अनुसार उसने 2025 में बतौर एक इंटर्न कंपनी जॉइन की थी. पीड़िता ने बताया, जिस दिन मैंने कंपनी जॉइन की, मुझे सीईओ अजय प्रकाश और उनकी पत्नी का व्यवहार अच्छा नहीं लगा. अजय प्रकाश मुझे मेरे व्हाट्सप नंबर पर बे-वक्त कॉल किया करते थे. उसने आरोप लगाया कि सीईओ को पता था कि वह दिल्ली में अकेली है और उसने इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की. उसने कहा कि अजय प्रकाश उसे छोटी-मोटी बातों के लिए भी अपने केबिन में बुलाते लेकिन वह हमेशा काम से मतलब रखती रही. पीड़िता ने सीईओ पर आरोप लगाया कि काम के दौरान अनुचित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं.

**FOR SALE**

इंदोर के रेसकोर्स रोड पे एमएनसी कंपनी के स्वामित्व कि ऑफिस 2 कार पार्किंग के साथ बेचने के लिये उपलब्ध है | इच्छुक खरीददार कृपया संपर्क करे
8329436086

**CHANGE OF NAME**

I, MEENAKSHI JAIN D/O Late Shri ASHOK JAIN, Age – 20/09/1987, Sex-Female, Address- Flat No 101 N R K Villas Manorama Ganj VTC: Indore, PO: Indore G.P.O. INDORE (M.P.)-452001. That a Passport number N1276052, Dated 13.07.2015 has been made in the name of me the affiant, in which my name **MEENAKSHI ABHISHEK JAIN**, father name ASHOK KESRIMAL JAIN, mother name PREMLATA ASHOK JAIN and husband name ABHISHEK BIMAL KUMAR JAIN is wrong. My name is **“MEENAKSHI JAIN”**, my father name “ASHOK JAIN”, my mother name “PREMLATA JAIN” and my husband name “ABHISHEK JAIN”, which is true and correct. that I, the affiant, have to register my name as **MEENAKSHI JAIN**, father name as ASHOK JAIN, mother name as PREMLATA JAIN, husband name as ABHISHEK JAIN in my passport.

परिशिष्ट IV (नियम 8(1)) **आधिपत्य सूचना** (अचल संपत्ति हेतु)

**एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड**
**CIN: U67100MH2007PLC174759**
**रिटेल केन्द्रीय एवं पंजीकृत कार्यालय :** एडलवाइस हाउस, ऑफ सी.एस.टी. रोड, कलीना, मुम्बई 400098

जबकि यहाँ उल्लिखित सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (नियम 3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे यथा उल्लखित मांग सूचना जारी की थी जिसमें कर्जदार(ओं) से सूचना में उल्लिखित राशि उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से **60 दिनों** के अंदर भुगतान करने के लिए कहा। इसके बाद, असाईनर संदर्भित ने अधोल्लिखित वित्तीय परिसंपत्तियाँ **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** को स्वयं/अपनी **उल्लेखित विभिन्न ट्रस्ट के ट्रस्टी** की क्षमता से कार्यरत (यहाँ आगे **“ईएआरसी”** कहा गया है) असाइनमेंट एग्रीमेंट के अनुसार सरफासी अधिनियम, 2002 की धारा 5 के तहत एसाइन कर दीं। ईएआरसी असाईनर की भूमिका में आ गया और वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में विचाराधीन प्रतिभूति हितों, गारंटी, रेहनों सहित असाईनर के सभी अधिकार, हक और हित कर्जदार द्वारा ली गई वित्तीय सहायता के संबंध में **ईएआरसी** को निहित हो गए हैं और **ईएआरसी** प्रत्याभूत लेनदार के रूप में अपने सभी अधिकार प्रयोग करता है। कर्जदार द्वारा राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी की क्षमता से अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का **भौतिक कब्जा** संपत्ति के समक्ष उल्लेखित दिनांक को ले लिया है।

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधो की ओर आकृष्ट किया जाता है। विशेष रूप से कर्जदार और सामान्य रूप में सर्वजन को संपत्ति से कोई लेन–देन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति का कोई भी लेन–देन नीचे उल्लिखित राशि और इस पर ब्याज के लिए **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा।

| समनुदेशक का नाम | ट्रस्ट का नाम | ऋण खाता नंबर | उधारकर्ता एवं सह–उधारकर्ता(ओं) का नाम | मांग सूचना की राशि एवं सूचना दिनांक | कब्जे की तारीख | कब्जे की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मेग्मा हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड | EARC TRUST SC- 370 | HL/0180/H/15/100117 | 1. गोपाल सिंह (ऋणी) 2. गुड्डी बाई (सह–ऋणी) 3. लीला बाई (सह–ऋणी) 4. पुर सिंह (सह–ऋणी) | रु. 6,00,579.64/- (रुपये छः लाख पाँच सौ उन्यासी एवं चौसठ पैसे मात्र) एवं 24-07-2018 | 04-05-2026 | भौतिक कब्जा |

**अचल संपत्ति का विवरण:–** संपत्ति के समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग, मकान नं. 46, ग्राम चितावल्याखेडी, ग्राम पंचायत चितावल्याखेडी, खसरा नं. 313/2, प.ह.न. 14, तहसील तराना उज्जैन मध्यप्रदेश, क्षेत्रफल 1190 वर्गफीट,
**चर्तुःसीमा:** पूर्वः नागुलाल पिता पदमसिंह जी का मकान, पश्चिमः श्याम सिंह का मकान, उत्तर आम रास्ता, दक्षिणः नागुलाल पिता पदम जी की भूमि

**स्थान : मुम्बई,**
**दिनांक : 08-05-2026**

प्राधिकृत अधिकारी
एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड

Edelweiss Asset Reconstruction

**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया — Union Bank of India**
भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking

**क्षेत्रीय कार्यालय :** 12/12, जीवन प्रदीप भवन, अनूप नगर, इन्दौर-452001 (म.प्र.)

परिशिष्ट IV-ए [ नियम 8(6) एवं 9(1) देखे ]
**अचल संम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना**

संपत्ति विवरण हेतु QR कोड स्केन करें।

**वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना**

आम लोगों को और विशेष रुप से ऋणीओं, जमानतदारों एवं बंधककर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित हैं। जिनका प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **भौतिक /सांकेतिक आधिपत्य** ले लिया गया है, उन्हें ''जहां है जैसा है'' और '' जो कुछ भी है'' के आधार पर **26-05-2026, मंगलवार को दोप. 12.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक** ई–नीलामी की जाना है। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम जमा राशि का उल्लेख नीचे किया गया है।

| क्र. | ऋणी एवं जमानतदार का नाम | संपत्ति का विवरण | वसूल की जाने वाली राशि (खर्चो को छोड़कर) | आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **1. ऋणी/यों – स्व. श्री जगराम सिंह पडोरिया पिता धनीराम पडोरिया की संपत्ति, श्री जगराम सिंह पडोरिया पिता धनीराम पडोरिया के सभी कानूनी उत्तारधिकारी के मध्यम से प्रतिनिधित्व 2. जमानतदार/ओं : श्री मनोज जयसवाल पिता अवंतीलाल जयसवाल शाखा– सागोरकुटी** | फ्लैट नं.103, प्लॉट नं. 72,73,74,75,76 एवं 77 आशियाना अपार्टमेंट, धरमकुंज कॉलोनी, फेस 1, ग्राम कालीबिल्लोद, तेह. देपालपुर, जिला धार, म.प्र. 453001 स्थित संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश **क्षेत्रफल 490 वर्गफीट सुपर बिल्टअप क्षेत्रफल, संपत्ति मालिक : जगराम सिंह पडोरिया पिता धनीराम पडोरिया, चर्तुसीमा:** उत्तर : फ्लेट नं.107, दक्षिण : फ्लेट नं.102, पूर्व : खुला क्षेत्र, पश्चिम : खुला क्षेत्र एवं फ्लेट नं. 104 **(सांकेतिक आधिपत्य)** | **Rs. 8,36,570.05 as on 07.08.2024** | **Rs.8,75,000/- / Rs. 87,500/- / Rs. 8,750/-** |
| 2 | **1. ऋणी/यों 1.(ए) श्रीमती कुसुम वैष्णव (आवेदक), 1.(बी) श्री पवन वैष्णव (सह–आवेदक) शाखा– सागोरकुटी** | प्लॉट नं.18 पर स्थित मकान पर आवासीय प्लॉट एवं भवन, सांवरियां नगर, ग्राम-देहरीसराय, घाटाबिल्लोद, जिला धार मध्य प्रदेश -454660 स्थित संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश **क्षेत्रफल 680 वर्गफीट, संपत्ति मालिक : श्रीमती कुसुम वैष्णव एवं श्री पवन वैष्णव, चर्तुसीमा:** पूर्व : राजेश टेलर का मकान, पश्चिम : श्री सिंह की शेष भूमि, उत्तर : स्कूल की बाउंड़ी, दक्षिण : रोड़ **(भौतिक आधिपत्य)** | **Rs. 24,91,149.00 as on 30-09-2025** | **Rs.13,10,000- / Rs.1,30,000/- / Rs.13,000/-** |
| 3 | **लवीना खूबचंदानी पति विजय खूबचंदानी (ऋणी), आयुष ओझा पिता असीम ओझा (सह–आवेदक) शाखा– छावनी मेन इंदौर** | शारदा भवन की पहली मंजिल पर फ्लेट नंबर 103, प्लॉट नंबर 101, सिद्धिपुरम कॉलोनी पर स्थित, ग्राम तेजपुर गरबारी, तहसील व जिला इंदौर (म.प्र.), सुपर बिल्टअप एरिया 550 वर्ग फीट, **चर्तुसीमाएँ:–** पूर्व - प्लॉट नंबर 102, पश्चिम - सामान्य मार्ग एवं सीढ़ी, उत्तर - फ्लेट नंबर 101, दक्षिण - फ्लेट नंबर 102 **(सांकेतिक आधिपत्य)** | **Rs. 11,04,458.57 as on 21-07-2025** | **Rs.9,95,000/- / Rs.99,500/- / Rs.9,950/-** |
| 4 | **1) श्रीमती अल्का अग्रवाल पति मुकेश अग्रवाल (ऋणी) 2) श्री मुकेश अग्रवाल पिता रमेश चन्द्र अग्रवाल (सह–आवेदक) शाखा– UMFB इंदौर** | आईडीए स्कीम नंबर 47 इंदौर म.प्र. में प्लॉट नंबर 94 पर बनी बहुमंजिला भवन (गोल्डन टॉवर, सपना संगीता मैन रोड) की पहली मंज़िल पर आवासीय फ्लैट नंबर 5 का संपूर्ण भाग, जिसका क्षेत्रफल 462 वर्ग फुट है। **चर्तुसीमा (विक्रय विलेख के अनुसार):** दक्षिण-पूर्व : बिल्डिंग का एमओएस, उत्तर-पश्चिम: बिल्डिंग का कॉमन पैसेज, उत्तर-पूर्व : बिल्डिंग का एमओएस, दक्षिण-पश्चिम: अन्य फ्लेट. **चर्तुसीमा (लोकेशन के अनुसार):** दक्षिण-पूर्व : ओटीएस/प्लॉट नंबर 101, उत्तर-पश्चिम: बिल्डिंग कॉरिडोर, उत्तर-पूर्व : ओटीएस/प्लॉट नंबर 93, दक्षिण-पश्चिम: फ्लेट नंबर 04 **(भौतिक आधिपत्य)** | **Rs. 12,42,371.39 as on 15.09.2025** | **Rs.30,65,000/- / Rs.3,06,500/- / Rs.30,650/-** |

**ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथी :** नीलामी के अंतिम समय से पहले ईएमडी जमा कर ईएमडी राशि को संपत्ति आईडी के साथ लिंक/मैप करना होगा। यह सूचित किया जाता है कि किसी भी तकनीकी गड़बड़ी से बचने के लिए ईएमडी राशि को पहले ही जमा कर दें एवं संपत्ति आईडी के साथ लिंक/मैप कर दें।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तो के लिए, कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट अर्थात **(www.unionbankofindia.co.in)** पर दिए गए लिंक **“https://baanknet.com”** का संदर्भ लें एवं सेवा प्रदाता **पीएसबी एलायंस की वेबसाइट 'https://baanknet.com'** पर जाएं। रजिस्ट्रेशन संबंधित जानकारी हेतु ई-मेल करें **support.BAANKNET@psballiance.com** उक्त तालिका में दिया गया सुरक्षित सम्पत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रदान किया गया है और इसमें किसी भी प्रकार की गलती, त्रुटी या भूल के लिए प्रधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं रहेगा। सफल बोलीकर्ता को सफल बोली राशि कि 25% राशि सम्पत्ति की नीलामी के अगले कार्य दिवस तक की समय अवधि में जमा करनी होगी, शेष 75% राशि नीलामी समाप्ति से 15 दिन में जमा करनी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा की गई राशि/राशियाँ जब्त कर ली जाएंगी और विक्रय की गई संपत्ति के प्रति चूककर्ता क्रेता के सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और बैंक उस सम्पत्ति को पुनः विक्रय करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। उक्त नीलामी **https://baanknet.com** के माध्यम से कि जाएगी अतः इच्छुक बोलीकर्ता को अपना पंजीयन अपने मोबाईल नं. तथा ईमेल आइडी का प्रयोग करते हुए करना होगा। प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु बाध्य नही है किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने/स्थगित करने या ई–नीलामी को बिना किसी कारण बताये रद्द करने का प्रधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार है।

**नोट:** कृपया इस नीलामी से संबंधित किसी भी प्रकार के भार, न्यायालय आदेश या अन्य विवरण के लिए हमारे बैंक की वेबसाइट एवं बैंकनेट पोर्टल देखें।

**स्थान : इन्दौर**
**दिनांक : 09.05.2026**

**ह/– प्राधिकृत अधिकारी**
**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

**प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अंतर्गत 15 दिवस विक्रय हेतु वैधानिक सूचना**

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अंतर्गत ऋणियों एवं जमानतदारों को ऊपर लिखी गयी तिथि पर ई-नीलामी करने की सूचना के रुप में समझा जाएगा।